

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर।

सत्र वाद संख्या-923/2023

राज्य

बनाम

भगेलू धुरिया

आरोप

मैं अभय श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर आप अभियुक्त भगेलू धुरिया को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ—

1— यह कि दिनांक 27.04.2023 को समय करीब 12.20 बजे बहद स्थान ग्राम सरायरानी मोड़ थाना कादीपुर, जिला सुलतानपुर में पुलिस पार्टी द्वारा दौरान तलाशी आपके पास से 12 ग्राम नाजायज हीरोइन बरामद किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 8/21 N.D.P.S Act के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त मामले में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(अभय श्रीवास्तव)

JO Code-UP6216

दिनांक-23.02.2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(अभय श्रीवास्तव)

JO Code-UP6216

दिनांक-23.02.2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर।

सत्र वाद संख्या-923/2023

राज्य

बनाम

भगेलू धुरिया

दिनांक-23.02.2024

आज पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त भगेलू धुरिया मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष को आरोप के बिन्दु पर सुना। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 8/21 N.D.P.S Act के अन्तर्गत आरोप बनाए जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धारा में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना किया। पत्रावली दिनांक 29.03.2024 को साक्ष्य हेतु नियत की जाती है।

दिनांक-23.02.2024

(अभय श्रीवास्तव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर।